न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–69 / 2022 दायर दिनांक: 24.05.2022

CCMS NO:- 2022/123

पीठासीन अधिकारी :– शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. नहनू आ0 नाथू जाति बैरवा निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0

–प्रार्थी

बनाम

1. रामकुंवार आ0 हरदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)
2. भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब तहसील नैनवां जिला बून्दी।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111 एल0आर0 एक्ट वास्ते पत्थरगडी

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री सत्यनारायण लवानिया।
2. अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 27.07.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम समीधी पटवार हल्का समीधी में खाता संख्या 239 की खसरा संख्या 2238 / 557 रकबा 0.6472 हेक्टेयर भूमि स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार आसामी है। यह कि खाता संख्या 507 की खसरा संख्या 2270 / 557 रकबा 0.3236 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसका खातेदार आसामी अप्रार्थी संख्या 1 है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की कृषि भूमि का पडौसी है जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि को अपनी भूमि में मिलाना चाहता है और अपनी भूमि की सीमा में नहीं रहना चाहता है। उक्त सम्बन्ध में दिनांक 25.06.2021 को मौके पर जाकर पटवारी हल्का समीधी ने सीमाज्ञान किया था और सीमाएं बता दी थी। बताये गए निशानों पर प्रार्थी पत्थर गाडने लगा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने पत्थर नही गाडने दिये और लडाई झगडे पर उतारू हो गया। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमियों के सीमा विवाद के निस्तारण के लिए आवश्यक है कि नियमानुसार पेमाइश कर सीमा चिन्ह अर्थात् पत्थरगडी करवायी जावे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रेस, मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 25.06.2021 आदि पेश किये।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी का खाता व कब्जा पृथक्–पृथक् है। खसरा संख्या 557 पर रामकुंवार का गत 50 वर्ष से कब्जा है, इसे छीनने के लिए प्रार्थी ने झूठी कार्यवाही पेश की है।

तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.06.2021 को भूमि खसरा संख्या 2238 / 557 रकबा 0.6472 हेक्टेयर का सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। मौके पर प्रार्थी की लगभग 0.0809 हैक्टेयर भूमि पर पडौसी खातेदार रामकुंवार पुत्र हरदेव जाति बैरवा द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। अतः प्रार्थी की भूमि पर सक्षम अधिकारी व पुलिस जाप्ता की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर पत्थरगडी करवायी जा सकेगी।

हमनें प्रार्थना पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज तथा तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमियों के खातेदार है। प्रार्थी को उनके खातेदारी की उक्त वर्णित भूमियों पर नियमानुसार पत्थरगढी करवाये जाने का अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम समीधी पटवार हल्का समीधी में खाता संख्या 239 की खसरा संख्या 2238 / 557 रकबा 0.6472 हेक्टेयर भूमि पर तहसीलदार नैनवां को नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी [illegible] हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थ[illegible] जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में [illegible] का स्थगन हो तो तहसीलदार नैनवां को निर्देशित किया जाता है कि स्थगन अ[illegible] निरस्त होने तक इस निर्णय की पालना की कार्यवाही सम्पादित नहीं की जावे। इस निर्णय के आधार पर किसी कब्जाका[illegible] को बेदखल नहीं किया जावे। बेदखल करने के सम्बन्ध में पृ[illegible] से न्यायालय में सुसंगत [illegible] में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:14:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांकः– रीडर/20.23/ 236 दिनांकः–31/7/23

प्रेषितिः–

तहसीलदार
नैनवां।

विषयः–न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु ।

~~वाद~~/प्रार्थना पत्र संख्या 69/प्रा0पत्र/2022

बउनवान नहनू बनाम रामकुंवार आदि

निर्णय दिनांक 27/7/23

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ ~~प्राथमिक डिक्री~~/~~अन्तिम डिक्री~~/अंतिम निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्नः– उक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:14:29 IST
Reason: SelfAttested